न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

जी सी एन एस न0 :—2021 / 502

मुकदमा नम्बर:— 205 / 2021

दर्ज दिनांक:—27.07.2021

निर्णय दिनांक:—18.04.2023

1. सुरेन्द सिंह पुत्र चतरसालसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

वादी

बनाम

1. गिरवर सिंह पुत्र चतरसाल सिंह
2. दशरथ सिंह पुत्र चतरसाल सिंह
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र चतरसाल सिंह
4. माली कंवर पुत्री भाग सिंह
5. सरोज कंवर पुत्री भाग सिंह
6. महेन्द्र सिंह पुत्र छगनसिंह
7. विजेन्द्रसिंह पुत्र छगनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

8. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

प्रतिवादीगण

दावा—घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.04.2023

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा न0 483 रकबा 0.31 है0 अवस्थित है। जिसका खातेदार स्व0 लादूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति रावणा राजपूत नाम व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी लादुसिंह की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 काबिज काश्त है जिसको लेकर कोई विवाद नही है। लादूसिंह अविवाहित व्यक्ति था जिसके कारण नाआलोद फोत हुआ था उपरोक्त भूमि लादुसिंह की स्वअर्जित सम्पति है लादुसिंह अपने हजीवनकाल मे वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पिता के पास ही रहता था। लादुसिंह के कोई औलाद नही होने व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता की सेवा श्रुशा से प्रसन्न होकर उसने अपने जीवन काल में अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता चतरसाल सिंह भागसिंह व छगनसिंह के नाम पर दिनांक 17.06.1978 को वसीयत कर दी थी लादुसिंह का देहान्त दिनांक 17.10.1978 को हो चुका है [illegible] द्वारा तैयार वसीयत के आधार पर माननीय न्यायाल जिला व सैशन न्यायाधी द्वारा [illegible] की सम्पति भूमि खसरा न0 432, 433, 435 व 436 तामी 438 [illegible]करण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज चतरसालसिंह भागसिंह व [illegible] के आदेश दिनांक 25.03.1991 को जारी किये थे । किन्तु सहवन से भूमि खाता नया 199 पुराना 145 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:20 IST
Reason: SelfAttested

०/५६-

खसरा न0 454 व 483 का नामान्तकरण दर्ज होने से रह गया था। जिसके पश्चात वादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश कर भूमि खसरा न0 454 की उदघोषणा भी दिनांक 11.06.2016 को करवा ली थी। किन्तु भूमि खसरा न0 483 की उदघोषणा शेष रह गई थी इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम पर नही होने के कारण भूमि का सही सीमाज्ञान आदि नही हो पा रहा व ना ही मेडबंदी हो रही व ना ही अन्य आवश्यक सुधार हो पा रहे इस कारण भूमि खसरा न0 483 की उदघोषणा वादी के पक्ष में कि जानी न्यायोचित है अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि (क) ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा न0 483 रकबा 0.31 है0 में लादूसिंह पुत्र हनुमान सिह के हिस्से 79/97 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का कास्तकार खातेदार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूरस्त करने के आदेश फरमाया वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 7 जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 11 स्वीकार की है तथा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि वादी का वाद इस आशय का स्वीकार किया जावे कि ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा नण0 483 रकबा 0.31 है0 में लादुसिंह पुत्र हनुमान सिंह के हिस्से 79/97 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम पर 1/3 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के 1/3 हिस्से की व जबाब देहन्दा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के 1/3 हिस्से की घोषणा की जाकर खातेदार घोषित किया जाता है तो वाद स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 8 ने आदेशिका पर ही जबाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा न0 483 के संबंध में मृत खातेदार द्वारा किसी प्रकार की वसीयत नही कि हुई अत मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम भूमि का अनतरण किया जावे तथा वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी सुरेन्द्र सिंह ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वाद पत्र श्रवण कि गई। बहस के दौरान वादी वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि जिसका खातेदार स्व0 लादूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति रावणा राजपूत नाम व्यब्कित था जिसकी मृत्यु हो चुकी लादुसिंह की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 काबिज काश्त है जिसको लेकर कोई विवाद नही है। लादूसिंह अविवाहित व्यक्ति था जिसके कारण नाआलोद फोत हुआ था उपरोक्त भूमि लादुसिंह की स्वअर्जित सम्पति है लादुसिंह अपने हजीवनकाल मे वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पिता के पास ही रहता था। लादुसिंह के कोई औलाद नही होने व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता की सेवा से प्रसन्न होकर उसने अपने जीवन काल में अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के [illegible] छगनसिंह के नाम पर दिनांक 17.06.1978 को वसीयत कर दी थी लादुसिं[illegible] दिनांक 17.10.1978 को हो चुका है जिसके पश्चात लादुसिंह द्वारा तैयार वसीयत के [illegible]ार पर माननीय न्यायालय जिला व सैशन न्यायाधीश द्वारा लादुसिंह [illegible] 432, 433, 435 व 436 तथा 438 का नामान्तरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल[illegible] 7 के पूर्वज चतरसालसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:20 IST
Reason: SelfAttested

2456-

भागसिंह व छगनसिंह के नाम खोलने के आदेश दिनांक 25.03.1991 को जारी किये थे । किन्तु सहवन से भूमि खाता नया 199 पुराना 145 की भूमि खसरा न0 454 व 483 का नामान्तकरण दर्ज होने से रह गया था। जिसके पश्चात वादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश कर भूमि खसरा न0 454 की उदघोषणा भी दिनांक 11.06.2016 को करवा ली थी। किन्तु भूमि खसरा न0 483 की उदघोषणा शेष रह गई थी अत ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा न0 483 रकबा 0.31 है0 में लादूसिंह पुत्र हनुमान सिह के हिस्से 79/97 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का कास्तकार खातेदार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में वकिल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया कि वादी का वाद इस आशय का स्वीकार किया जावे कि ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा नण्0 483 रकबा 0.31 है0 में लादुसिंह पुत्र हनुमान सिंह के हिस्से 79/97 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम पर 1/3 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के 1/3 हिस्से की व जबाब देहन्दा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के 1/3 हिस्से की घोषणा की जाकर खातेदार घोषित किया जाता है तो वाद स्वीकार है। बहस में प्रतिवादी संख्या 8 ने निवेदन किया निवेदन किया कि खसरा न0 483 के संबंध में मृत खातेदार द्वारा किसी प्रकार की वसीयत नही कि हुई अत मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम भूमि का अनतरण किया जावे तथा वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण ने भी वादी का वादपत्र स्वीकार किया है। उक्त विवेचना व वाद पत्र में पेश वसीयत व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा न0 483 रकबा 0.3100 है0 में लादुसिंह पुत्र हनुमान सिंह के हिस्से 79/97 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता हे। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

18/4/23

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:20 IST
Reason: SelfAttested

18/4/23

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :–2021/502 दर्ज दिनांकः–27.07.2021
मुकदमा नम्बरः– 205/2021 निर्णय दिनांकः–18.04.2023

सुरेन्द्र सिंह बनाम गिरवर सिंह आदि

दावा–घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 205/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिक्री दी जाती है।

वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम सराय की सरहद में भूमि खसरा न0 483 रकबा 0.3100 है0 में लादुसिंह पुत्र हनुमान सिंह के हिस्से 79/97 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता हे। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज..–.....–..... मुबलिक –.....–..... दाबन.–.....–.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.....
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 04 सन 2023 को जारी की गई।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:20 IST
Reason: SelfAttested